

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

OA NO. 46 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DR. AJAY KUMAR & ANR.

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG.NO
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 04.04.2026 IS ANNEXED HERETO AND MARKED AS ANNEXURE-1.	
3.	A COPY OF THE REVENUE RECORDS FOR THE PRESENT YEAR IS ANNEXED HERETO AND MARKED AS ANNEXURE- 2.	

4.	A COPY OF THE LETTER DATED 18.04.2026 IS ANNEXED HERETO AND MARKED AS ANNEXURE- 3.	
5.	A COPY OF THE BEFORE-AND-AFTER PHOTOGRAPHS OF THE DEMOLISHED CONSTRUCTION IS ANNEXED HERETO AND MARKED AS ANNEXURE- 4.	
6.	A COPY OF THE COMMUNICATION AND PHOTOGRAPHS EVIDENCING THE FENCING ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE- 5.	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
 STANDING COUNSEL OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
 PHONE NO.-6375115224

DATE: - 28.06.2026

PLACE: - NOIDA

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**



OA NO. 46 OF 2025



IN THE MATTER OF:

DR. AJAY KUMAR & ANR.

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.6 IN COMPLIANCE OF
THE ORDER DATED 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

I, Manish Kumar Verma, aged about 41 years, presently posted as District Magistrate, Prayagraj do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present response.
2. That I, state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the present Original Application has been filed alleging encroachment upon Government land recorded as a pond (Talab), bearing Khasra No. 847/2स, Category 6-1, situated at Village Kathula Gauspur, Tehsil Sadar, District Prayagraj, having an area of 0.2650 hectares.

4. That, it is humbly submitted that, in the said matter, the Hon'ble Tribunal, vide order dated 18.03.2026.

"1. Shri Bhanwar Pal Singh, learned counsel for the State of UP seeks further two weeks' time to file the reply. Rejoinder, if any, can be filed by the Applicant within two weeks thereafter.

2. List on 01.07.2026."

II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. That it is respectfully submitted that vide letter dated **04.04.2026**, the deponent constituted a committee for taking action in the said matter comprising the following members:

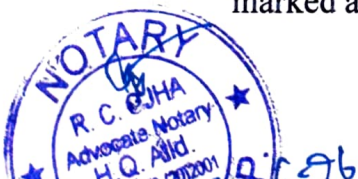
- i. Secretary, Prayagraj Development Authority, Prayagraj;
- ii. Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Prayagraj
- iii. Sub-Divisional Magistrate (Sadar), Prayagraj.

That the aforesaid committee was directed to duly examine the revenue records of Khasra No. 847/2S and to ensure removal of the encroachment.

A copy of the letter dated 04.04.2026 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE-1**.

6. That it is humbly submitted that Khasra No. 847/2S, situated in Village Kathula Gauspur, Tehsil Sadar, Prayagraj, having an area of 0.2650 hectare (2,650 square metres), is recorded under Category 6-1 (**Talab**) as per the present Fasli years 1428-1433.

A copy of the revenue records for the present year is annexed hereto and marked as **ANNEXURE-2**.



7. That it is submitted that vide letter dated **18.04.2026**, the Municipal Corporation, Prayagraj informed the deponent that upon inspection, the construction was completely demolished on **18.04.2026 at around 11:00 AM**. The Municipal Corporation further advised that the Chief Engineer (Civil) may be directed to undertake fencing and restoration of the land so as to revive the water body in its original form.

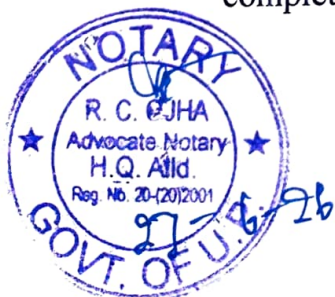
A copy of the letter dated 18.04.2026 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE-3**.

A copy of the before-and-after photographs of the demolished construction is annexed hereto and marked as **ANNEXURE-4**.

8. That it is pertinent to mention that the Nazul Department, vide its communication dated **22.06.2026** addressed to the Assistant Engineer, Executive Engineer, Chief Engineer and Additional Municipal Commissioner, informed that, pursuant to demarcation carried out by the concerned Nazul Lekhpal, wire fencing of the entire pond land had been completed on **22.06.2026**. It was further informed that a separate proposal for rejuvenation and development of the pond is being prepared and shall be submitted for approval shortly.

A copy of the communication and photographs evidencing the fencing are annexed herewith and marked as **ANNEXURE – 5**.

9. That it is germane to mention that the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and has taken all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit.



10. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Prayagraj on this 27th day of June 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



The contents of the document are true and correct as per the contents of the document as presented to me at Allahabad. The document is / are identified by shri. Manish Kumar Verma Advocate the Content of the Documents has been explained to the Excuted which was admit the to be Correct. and the Documents is Attested


Ramesh Chandra Ojha
Advocate Notary
str Head Quarter Alld

27-6-26


DEPONENT


R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad
27-6-26

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्र सं० 6000/0 / MHT O.A. No. 40/2025

दिनांक: 04/04/2025

आदेश

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 46/2025 डॉ० अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपीलांत डा० अजय कुमार द्वारा उक्त योजित ओ०ए० में खसरा सं० खसरा नं० 847/2स श्रेणी 6-1, तालाब जिसका क्षेत्रफल 0.2650 है० अर्थात् 2650 मीटर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब को अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने के संबंध में योजित की गयी है।

कृपया उक्त प्रकरण में Hon'ble Supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi (2001) 6 SCC 496 and Jagpal Singh Vs. State of Punjab & Ors. (2011) 11 SCC 396 and by this Tribunal by order dated 18-11-2025 passed in O.A. No. 325/2015 titled Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Vs. Union of India & Ors. Sarvdaman. में पारित आदेशों के समादर में कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण में कार्यवाही हेतु निम्नवत् समिति का गठन पत्र सं० जी० 01543/ओ०ए० नं० 46/2025/26 दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से किया गया था।

1. सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
3. उप जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज।

उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत ग्राम कटहुला गौसपुर, तहसील सदर, प्रयागराज के खसरा नं० 847/2स जिसका क्षेत्रफल 0.2650 है० अर्थात् 2650 मीटर की राजस्व अभिलेखों की जाँच कराते हुए तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नियमानुसार उक्त को मूल स्वरूप में विस्थापित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन/एक्शन टेकेन रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। पुनः समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त की अनुपालन आख्या/एक्शन टेकेन रिपोर्ट से अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी की ओर से भी मा० एनजीटी में दाखिल करने की कार्यवाही श्री भंवर पाल सिंह जादौन, एडवोकेट, (स्थायी अधिवक्ता, मा० एनजीटी, उ०प्र० सरकार) से सम्पर्क कर कराया जाना सुनिश्चित करें।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, प्रयागराज

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, प्रयागराज

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

दिनांक: 18.3.26

पत्र सं० 60/543/0.1.1. 46/2025/26
आदेश

माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 46/2025 डॉ० अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश व अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपीलांत डा० अजय कुमार द्वारा उक्त योजित ओ०ए० में खसरा सं० खसरा नं० 847/2स श्रेणी 6-1, तालाब जिसका क्षेत्रफल 0.2650 है० अर्थात् 2650 मीटर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब को अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने के संबंध में योजित की गयी है।

कृपया उक्त प्रकरण में Hon'ble Supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi (2001) 6 SCC 496 and Jagpal Singh Vs. State of Punjab & Ors. (2011) 11 SCC 396 and by this Tribunal by order dated 18-11-2025 passed in O.A. No. 325/2015 titled Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Vs. Union of India & Ors. Sarvdaman. में पारित आदेशों के समादर में कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण में कार्यवाही हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

1. सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
3. उप जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज।

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत ग्राम कटहुला गौसपुर, तहसील सदर, प्रयागराज के खसरा नं० 847/2स जिसका क्षेत्रफल 0.2650 है० अर्थात् 2650 मीटर की राजस्व अभिलेखों की जाँच कराते हुए तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नियमानुसार उक्त को मूल स्वरूप में विस्थापित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन/एक्शन टेकेन रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, प्रयागराज18.3.26
जिलाधिकारी, प्रयागराज

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

11/June/2026 02:01:12 PM

ANNEXURE 2

जनपद : प्रयागराज

तहसील : सदर

ग्राम : कटहुला गौसपुर

ग्राम कोड : 161806

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)

खाता संख्या : 01670

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
847/2स	1) तालाब / --- / ---			847/2स (1618060847300161)	0.2650	1) 1/1	1) 0.2650	0.00
							0.2650	

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव दो छह पांच शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव दो छह पांच शून्य (हेक्टेयर)
---------------	---	---	--

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



23/04/26

कलेक्टर, प्रयागराज
दिनांक 23/04/26
5518

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, प्रयागराज।

सेवा में,

जिलाधिकारी

प्रयागराज।

विषय: मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-46/2025 डॉ० अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के सम्बन्ध में।

पत्र सं०डी०-4 / नजूल/26

महोदय,

दिनांक 18 अप्रैल, 2026

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-जी०-1543/ओ०ए० 728-46/2025-26 दिनांक 18.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-46/2025 डॉ० अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में अपीलेंट डा० अजय कुमार द्वारा उक्त योजित ओ०ए० में खसरा सं० खसरा नं०-847/2स श्रेणी-6-1, तालाब जिसका क्षेत्रफल 0.2650 हे० अर्थात् 2650 मीटर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब को अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में योजित की गयी है।

कृपया उक्त प्रकरण में Hon'ble supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala devi (2001) 6 SCC 496 and Jagpal Singh Vs. State of Punjab & Ors. (2011) 11 SCC 396 and by this Tribunal by order dated 18.11.2025 passed in O.A. No. 325/2015 titled Lt. Sarvadaman Singh Oberoi Vs Union of India & Ors. Sarvadaman, में पारित आदेशों के समादर में कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण में कार्यवाही हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

1. सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
3. उप जिलाधिकारी सदर, प्रयागराज।

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत ग्राम कटहुला गौसपुर, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज के खसरा नं०-847/2स जिसका क्षेत्रफल 0.2650 हे० अर्थात् 2650 मीटर की राजस्व अभिलेखों की जाँच कराते हुए तत्काल मुक्त कराते हुए नियमानुसार उक्त को मूल स्वरूप में विस्थापित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है तथा अनुपालन/एक्शन टेकेन रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें का आदेश पारित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में महोदय को अवगत कराना है कि नगर निगम प्रयागराज द्वारा आज दिनांक 18.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे उक्त स्थल पर जो प्लॉटिंग थी उसे सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त करा दिया गया है, जिसकी फोटोग्राफ एवं आख्या संलग्न है तथा इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध किया गया है कि मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, प्रयागराज को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त एरिया /क्षेत्रफल जो तालाब के रूप में दर्ज है। उसकी फैसिंग कराकर तालाब के रूप विकसित करने का कष्ट करें, ताकि तालाब मूलस्वरूप पुनः वापस आ सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार राय)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप जिलाधिकारी सदर प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी प्रशासन, प्रयागराज को सूचनार्थ।

अपर नगर आयुक्त

Location: Kathula ⁴²Gospur, Prayagraj

ANNEXURE 4

On Field



During Time



Before /After



Before /After



During Time



सहा० अभि०/अधि० अभि०/मुख्य अभि०/ अपर नगर आयुक्त महोदय,

विषय:- ग्राम कटहुला गोसाईपुर स्थित तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त फेंसिंग एवं तालाब के पुनर्जीवन के संबंध में।

कृपया सादर अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्रांक-जी०-1543/ओ०ए० 728-46/2025-26 दिनांक 18.03.2026 एवं पत्र सं०डी० -4/नजूल/26 दिनांक 18 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-46/2025 डॉ० अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में अपीलांट डा० अजय कुमार द्वारा उक्त योजित ओ०ए० में खसरा सं० खसरा नं०-847/2स श्रेणी-6-1, तालाब जिसका क्षेत्रफल 0.2650 हे० अर्थात् 2650 वर्ग मीटर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब को अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में योजित की गयी है।

कृपया उक्त प्रकरण में Hon'ble supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs- Kamala devi 1/2001 1/2 6 SCC 496 and Jagpal Singh Vs- State of Punjab & Ors- 1/2011 1/2 11 SCC 396 and by this Tribunal by order dated 18-11-2025 passed in O-A- No- 325@2015 titled Lt- Sarvadaman Singh Oberoi Vs Union of India & Ors- Sarvdaman] में पारित आदेशों के समादर में कार्यवाही किया जाना था। गठित समिति को निर्देशित किया कि प्रश्नगत ग्राम कटहुला गौसपुर, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज के खसरा नं०-847/2स जिसका क्षेत्रफल 0.2650 हे० अर्थात् 2650 वर्ग मीटर की तार फेंसिंग की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुपालन/एक्शन रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, का आदेश पारित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में नुजूल विभाग के सम्बंधित लेखपाल द्वारा चिन्हीकरण के आधार पर आज दिनांक 22.06.2026 को उक्त स्थल पर तार फेंसिंग करा दिया गया है, जिसकी फोटोग्राफ एवं आख्या संलग्न है तथा उक्त एरिया/क्षेत्रफल जो तालाब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पृथक से तैयार किया जा रह है। जिसे शीघ्र ही स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया जायेगा।

कृपया आख्या अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

22/6/26
JST

22/6/26
AS

22/6/26
Anil Kumar Maurya
Executive Engineer
Nagar Nigam, Prayagraj

23/6/26
AS

23/06/2026
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम
प्रयागराज





अपर नगर आयुक्त (ए) महोदय

कृपया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के क्रम में मौजा- कटहुला गौसपुर की आराजी संख्या-847/2स, क्षेत्रफल 0.2650हे0 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। आराजी संख्या 847 के अंश भाग पर अवैध प्लाटिंग कर बाउण्ड्रीवाल व कुछ अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसे आज दिनांक 18-04-2026 को नगर निगम प्रयागराज व तहसील की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराते हुए तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- स्थलीय छायाचित्र की प्रति।


18/04/26
राजेश सिंह
(न. नि.)


18/04/26
न. नि. सिंह
क. ए. ए. ए.
प्रयागराज


18/04/26
न. नि. सिंह
क. ए. ए. ए.
प्रयागराज


18/04/26
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम
प्रयागराज